# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2229314, 2226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.in

क्रमांक:भूमि/प. 7 (ड) (277)डीएलबी/17/किशनगढ/ 5716 दिनांक : 18/10/2017

आयुक्त,
नगर परिषद,
किशनगढ़ (अजमेर)।

विषय : किशनगढ नगरीय क्षेत्र में उर्जा तन्त्र के विकास हेतु विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक : 1967 दिनांक 18.09.17।

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को किशनगढ नगरीय क्षेत्र में उर्जा तन्त्र के विकास हेतु विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति चाही गई है। नगर परिषद की कार्यपालक समिति की बैठक दिनांक 27.01.2015 के प्रस्ताव सं. 09 में **किशनगढ नगरीय क्षेत्र में ऊर्जा तंत्र के विकास हेतु निम्नांकित स्थानों पर नियमानुसार दर पर भूमि आंवटन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया है।**

1. गगनदीप सिनेमा के उत्तरी पश्चिमी तरफ राजस्व ग्राम मदनगंज में खसरा नं. 733 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में से 2000 मीटर ।
2. न्यू हाउसिंग बोर्ड के पास खोडा गणेश रोड पर राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नं. 651 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि (132 केवीजीएसएस)
3. इन्द्रा कॉलोनी जयपुर रोड खसरा नं. 1451/2 कुल रकबा 315 बीघा 02 बिस्वा में से (3000 से 5000 वर्गमीटर– 33 केवीजीएसएस)
4. ऊंटडा रेल्वे फाटक के आगे खसरा नं. 363 कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में से (3000 से 5000 वर्गमीटर –33 केवीजीएसएस हेतु)
5. एन एच 8 किशनगढ बाईपास पर प्रस्तावित डीटीओं कार्यालय के पास राजस्व ग्राम मदनगज के खसरा नं. 78/1 कुल रकबा 294 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से (3000 से 5000 वर्गमीटर –33 केवीजीएसएस हेतु) अनापति देने बाबत।

अतः राज्य सरकार एतद् द्वारा नवीन भू–आवंटन नीति–2015 के बिन्दु सं. 9.3 में वर्णित प्रावधानानुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को नगर परिषद की कार्यपालक समिति की बैठक दिनांक 27.01.2015 के प्रस्ताव सं. 09 में **लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार वर्णित** भूमि प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

**यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:भूमि/प. 7 (ड) (277)डीएलबी/17/किशनगढ़/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
4. सभापति, नगर परिषद, किशनगढ़ (अजमेर)।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक

[Type text]